



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 294]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 9, 2016/भाद्र 18, 1938

No. 294]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 9, 2016/BHADRA 18, 1938

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(अवसंरचना अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 2016

एफ. सं. 13/6/2009-इंफ्रा.—दिनांक 10 अगस्त, 2016 की पूर्ववर्ती राजपत्र अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए, अवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची (अनुबंध-I) एतद्वारा अधिसूचित की जाती है। नई सूची में 8 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना में निम्नलिखित परिवर्तन सम्मिलित किए जा रहे हैं।

1. “सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचना” की श्रेणी के अंतर्गत नया उप-क्षेत्र “खेलकूद अवसंरचना” जोड़ा गया है।

शर्मिला चावलि, संयुक्त सचिव (अवसंरचना)

अनुबंध-Iअवसंरचना उप-क्षेत्रों की अद्यतन सुमेलित मास्टर सूची

क्र. सं.	श्रेणी	अवसंरचना उप-क्षेत्र
1.	परिवहन	<ul style="list-style-type: none"> • सड़क और पुल • पत्तन¹ • पोत कारखाना² • अन्तर्देशीय जलमार्ग • एयरपोर्ट • रेलवे मार्ग, सुरंग, सेतु, पुल³ • शहरी लोक परिवहन (शहरी सड़क परिवहन के मामले में रोलिंग स्टॉक के सिवाय)

2.	ऊर्जा	<ul style="list-style-type: none"> • विद्युत उत्पादन • विद्युत पारेषण • विद्युत वितरण • तेल पाईपलाइनें • तेल/गैस/द्रवीभूत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) भंडारण सुविधा⁴ • गैस पाईपलाइनें⁵
3.	जल और स्वच्छता	<ul style="list-style-type: none"> • टोस अपशिष्ट प्रबंधन • जल आपूर्ति पाईपलाइनें • जल शोधन संयंत्र • मलव्यय संग्रहण, प्रबंधन तथा निपटान प्रणाली • सिंचाई (बांध, चैनल, तटबंध आदि) • स्टोर्म वाटर निकासी प्रणाली • पतले मसाले की पाइपलाइनें
4.	संचार	<ul style="list-style-type: none"> • दूरसंचार (फिक्स्ड नेटवर्क)⁶ • दूरसंचार टावर • दूरसंचार और दूरसंचार सेवाएं
5.	सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचना	<ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण संस्थाएं (कैपिटल स्टॉक) • खेलकूद अवसंरचना⁷ • अस्पताल (कैपिटल स्टॉक)⁸ • 1 मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों से बाहर अवस्थित तीन- • सितारा अथवा उच्चतर श्रेणी के वर्गीकृत होटल • औद्योगिक पार्कों तथा फूड पार्कों, टैक्सटाईल पार्कों, विशेष आर्थिक क्षेत्र, पर्यटन सुविधा तथा कृषि बाजार जैसी औद्योगिक गतिविधि सहित अन्य पार्कों हेतु साझी अवसंरचना • कृषि तथा बागवानी उत्पाद हेतु शीत भंडारण सहित कटाई उपरान्त भण्डारण अवसंरचना • टर्मिनल बाजार • मृदा-परीक्षण प्रयोगशालाएं • प्रशीतन श्रृंखला⁹ • भारत में किसी भी स्थान पर स्थित वे होटल जिनमें प्रत्येक की परियोजना लागत¹⁰ 200 करोड़ रुपये से अधिक की है और वे किसी भी स्टार रेटिंग के हैं, • सम्मेलन केंद्र जिनमें प्रत्येक की परियोजना लागत¹⁰ 300 करोड़ रुपये से अधिक है।

1 बड़े तलकषण शामिल हैं।

2 “पोत कारखाने” को तैरती हुई अथवा तटीय, घुमावदार बंदरगाह, लंगरगाह और डॉकिंग सुविधा, जलावतरण मंच और/अथवा पोत उठाव की आवश्यक विशेषताओं के चलते भू-आधारित सुविधा के रूप में परिभाषित किया गया है जो पोत निर्माण/मरम्मत/पोत तोड़ने के कार्यकलाप करने में सक्षम है।

3 लोडिंग/अनलोडिंग टर्मिनलों, स्टेशनों तथा भवनों जैसी सहायक टर्मिनल अवसंरचना शामिल हैं।

4 कच्चे तेल का महत्वपूर्ण भंडारण शामिल है।

5 शहरी गैस संवितरण नेटवर्क शामिल है।

6 ऑप्टिक फाइबर/वायर/केबल नेटवर्क, जो ब्राडबैंड/इंटरनेट उपलब्ध कराते हैं, शामिल हैं।

7 खेलकूद और खेलकूद संबंधी कार्यकलाप में प्रशिक्षण/अनुसंधान के लिए प्रशिक्षणशालाओं हेतु खेलकूद स्टेडियम और अवसंरचना का प्रावधान शामिल है।

8 चिकित्सा कालेज, पैरा-चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान तथा नैदानिक केंद्र शामिल हैं।

9 कृषि तथा संबद्ध उत्पाद, समुद्री उत्पाद तथा मांस के परिरक्षण अथवा भण्डारण हेतु खेत स्तर की प्री-कूलिंग हेतु प्रशीतन कक्ष सुविधा शामिल है।

10 दिनांक 8/10/2013 (संदर्भ राजपत्र अधिसूचना संख्या 225) से तीन वर्षों के भावी प्रभाव के लिए पात्र परियोजनाओं हेतु उपलब्ध; पात्र लागत में भूमि की लागत तथा पट्टे के प्रभार शामिल नहीं हैं परंतु निर्माण के दौरान ब्याज शामिल है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(INFRASTRUCTURE SECTION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 2016

F. No. 13/6/2009-INF.—In suppression of the earlier Gazette Notification dated 10th August, 2016, an updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors (**Annexure-I**) is hereby notified. The new list incorporates the following change to the notification dated 8th April, 2016:

1. Under the category of “Social and Commercial Infrastructure” a new sub-sector – “Sports Infrastructure” is added.

SHARMILA CHAVALY, Jt. Secy. (Infra)

Annexure-I

Updated Harmonized Master List of Infrastructure Sub-sectors

Sl. No.	Category	Infrastructure sub-sectors
1.	Transport	<ul style="list-style-type: none"> • Roads and bridges • Ports¹ • Shipyards² • Inland Waterways • Airport • Railway Track, tunnels, viaducts, bridges³ • Urban Public Transport (except rolling stock in case of urban road transport)
2.	Energy	<ul style="list-style-type: none"> • Electricity Generation • Electricity Transmission • Electricity Distribution • Oil pipelines • Oil/Gas/Liquefied Natural Gas (LNG) storage facility⁴ • Gas pipelines⁵
3.	Water and Sanitation	<ul style="list-style-type: none"> • Solid Waste Management • Water supply pipelines • Water treatment plants • Sewage collection, treatment and disposal system • Irrigation (dams, channels, embankments, etc.) • Storm Water Drainage System • Slurry Pipelines
4.	Communication	<ul style="list-style-type: none"> • Telecommunication (fixed network)⁶ • Telecommunication towers • Telecommunication & Telecom Services

5.	Social and Commercial Infrastructure	<ul style="list-style-type: none"> ● Education Institutions (capital stock) ● Sports Infrastructure⁷ ● Hospitals (capital stock)⁸ ● Three-star or higher category classified hotels located outside cities with population of more than 1 million ● Common infrastructure for Industrial Parks and other parks with industrial activity such as food parks, textile parks, Special Economic Zones, tourism facilities and agriculture markets ● Post-harvest storage infrastructure for agriculture and horticultural produce including cold storage ● Terminal markets ● Soil-testing laboratories ● Cold Chain⁹ ● Hotels with project cost¹⁰ of more than Rs. 200 crores each in any place in India and of any star rating; ● Convention Centers with project cost¹⁰ of more than Rs. 300 crores each.
----	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

¹ Includes Capital Dredging

² “Shipyard” is defined as a floating or land-based facility with the essential features of waterfront, turning basin, berthing and docking facility, slipways and/or ship lifts, and which is self sufficient for carrying on shipbuilding/repair/breaking activities.

³ Includes supporting terminal infrastructure such as loading/unloading terminals, stations and buildings.

⁴ Includes strategic storage of crude oil.

⁵ Includes city gas distribution network.

⁶ Includes optic fibre/wire/cable networks which provide broadband / Internet.

⁷ Includes the provision of Sports Stadia and Infrastructure for Academies for Training/Research in Sports and Sports-related activities.

⁸ Includes Medical Colleges, Para Medical Training Institutes and Diagnostics Centres.

⁹ Includes cold room facility for farm level pre-cooling, for preservation or storage of agriculture and allied produce, marine products and meat.

¹⁰ Available with prospective effect for three years from 8/10/2013 (reference Gazette Notification No. 225) for eligible projects; Eligible costs exclude cost of land and lease charges but include interest during construction.
